न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 74/2021

1 रणधीर
2 महीपाल
3 रघुवीर पुत्रगण श्रीराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 विधाधर पुत्र स्व. मानसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नन्दकौर स्त्री स्व. विजयसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
3 सुमन
4 बीना पुत्रियां स्व. विजयसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सत्यवीर पुत्र स्व. मानसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
6 ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजेन्द्र पुत्र स्व. नेतराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
8 नवीन कुमार पुत्र स्व नेतराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
9 कमला
10 बिमला
11 शर्मिला
12 सरीता पुत्रियां स्व. नेतराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भू-प्रबन्ध • सीकर

13 दी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांकित
02.07.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बुहाना (राजस्व लोक अदालत कैम्प
कोर्ट बुहाना) मुकदमा उनवानी विधाधर बनाम नन्दकौर
वगै. मु.नं. 140/2014 दावा बाबत खाता विभाजन

अपील संख्या 77/2021

1 रणधीर
2 महीपाल
3 रघुवीर पुत्रगण श्रीराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 विधाधर पुत्र स्व. मानसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नन्दकौर स्त्री स्व. विजयसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
3 सुमन

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 बीना पुत्रियां स्व. विजयसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सत्यवीर पुत्र स्व. मानसिंह जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
6 ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजेन्द्र पुत्र स्व. नेतराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
8 नवीन कुमार पुत्र स्व नेतराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
9 कमला
10 बिमला
11 शर्मिला
12 सरीता पुत्रियां स्व. नेतराम जाति जाट निवासी हंसास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
13 दी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बुहाना जिला झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
14 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित
17.07.2015 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बुहाना मुकदमा उनवानी विधाधर
बनाम नन्दकौर वगे. मु.नं. 140/2014 दावा बाबत
खाता विभाजन

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नवीन चन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 10/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 140/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2015 व 17.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 14 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36/3 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95/3 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.59 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 8.78 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम हंसास तहत तहसील बुहाना में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विधाधर ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जमीन के बाबत खाता विभाजन का दावा पेश किया जिस वादपत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.07.2015 को प्राथमिक रूप से निर्णित कर दिनांक 17.07.2015 को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट नम्बर 1 रणधीर परिवार सहित जोधपुर रहता है, अपीलान्ट नम्बर 2 महीपाल भी अपने गांव हंसास नहीं रहता वह भी बाहर रहता है। अपीलांट 3 महावीर भी परिवार सहित जयपुर रहता है। तामील कुनिन्दा मोहरसिंह ने अपीलान्टस 1, 2 व 3 की तामील उनके भाई पर की गई है। अपीलान्टस की तामील उपरोक्त प्रकार से से तामील आदेश 05 नियम 17 जा.दी. के आवश्यक प्रावधानों के तहत नहीं होने से कानूनन पर्याप्त तामील नहीं मानी जा सकती। विचारण न्यायालय ने अपर्याप्त तामील के आधार पर अपीलान्टस के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर गलत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ... सीकर

रूप से साक्ष्य सबूत का व जवाब देही का अवसर नहीं देकर गलत रूप से विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। प्रकरण में अंतिम डिक्री की पालना के बाद उपरोक्त जमीन के खसरा नम्बर 14/1 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36/3/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54/1 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 2.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.59 हैक्टेयर है। खसरा नम्बर 14/2 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36/3/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0. 71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54/2 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129/1 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 95/3 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 129/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 130/2 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.73 हैक्टेयर ग्राम हंसास बने। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 में मौके से विभाजन प्रस्ताव के लिए तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया था लेकिन मौके से विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का ने बिना क्षेत्राधिकार के तैयार किये है। विभाजन प्रस्ताव में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल नियम 1955) के नियम 18 से 21 की पालना की गई। विभाजन से पहले खसरा नम्बर 36/3 रकबा 0.10 हैक्टेयर जमीन सभी पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज थी तथा मौके पर खसरा नम्बर 36/3 रास्ते के उपयोग में ली जा रही थी विभाजन प्रस्ताव उक्त खसरा नम्बर 36/3 रकबा 0.10 हैक्टेयर जमीन में से 0.09 हैक्टेयर जमीन अकेले श्रीराम के वारिसान को दी गई तथा खसरा नम्बर 36/3 में से 0.01 हैक्टेयर जमीन नेतराम के पुत्र राजेन्द्र व नवीन कुमार को दी गई। कानून से रास्ता में जाने वाली जमीन सभी पक्षकारान की जमीन में से कम होनी चाहिए। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री नियम 18 से 21 के विरूद्ध होने पर खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट विद्याधर की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में कुल 16 प्रतिवादीगण थे। प्रस्तुत अपील द्वारा विचाराधीन निर्णय को केवल प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 की ओर से चुनौती दी गई है। शेष पक्षकारों की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4, 10 से 16 की ओर से एकबालिया जवाब प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील लगभग 6 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट विद्याधर की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में कुल 16 प्रतिवादीगण थे। प्रस्तुत अपील द्वारा विचाराधीन निर्णय को केवल प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 की ओर से चुनौती दी गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.02.2015 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 की तामील भाई पर होकर प्राप्त होने का अंकन है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

रणधीर के नोटिस की पुश्त पर रणधीर परिवार सहित जोधपुर रहने का अंकन है। इसी प्रकार अपीलांट रघुवीर के नोटिस की पुश्त पर रघुवीर परिवार सहित जयपुर रहने का अंकन है। इन दोनों पक्षकारों की तामील रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा सत्यापित भी नहीं है। इनके नोटिस इनके भाई ओमप्रकाश को दिया जाने का अंकन तामील कुनिन्दा द्वारा किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इसे सम्यक तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय की यह तामीली कार्यवाही सम्यक नहीं मानी जा सकती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक प्रकिया अनुसार जवाब प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिकी जारी कर विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)